रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939
No. 291] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 368(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 234 के साथ पठित धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"25क. किसी विदेशी कंपनी का किसी कंपनी के साथ विलय या समामेलन और विपर्ययेन – (1) भारत के बाहर निगमित कोई विदेशी कंपनी का, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और इस अधिनियम की धारा 230 से धारा 232 तथा इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् किसी भारतीय कंपनी के साथ विलयन किया जा सकेगा।

(2) (क) किसी कंपनी का, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और इस अधिनियम की धारा 230 से धारा 232 तथा इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् उपाबंध-ख में विनिर्दिष्ट अधिकारिताओं में से किसी अधिकारिता में निगमित किसी विदेशी कंपनी के साथ विलयन किया जा सकेगा।

(ख) अंतरिति कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन ऐसे मूल्यांककों द्वारा किया जाए जो अंतरिति कंपनी की अधिकारिता में किसी मान्यताप्राप्त वृत्तिक निकाय के सदस्य हैं और यह और कि ऐसा मूल्यांकन लेखांकन तथा मूल्यांकन के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धातों के अनुसरण में हो। इस उप-नियम के खंड (क) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसे किए गए आवेदन के साथ इस प्रभाव की एक घोषणा संलग्न की जाएगी।

(3) संबंधित कंपनी इस अधिनियम की धारा 230 से धारा 232 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगी।

***स्पष्टीकरण* 1.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" पद से अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और "विदेशी कंपनी" पद से भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या निगमित निकाय चाहे उसके कारबार का स्थान भारत में है या नहीं, अभिप्रेत है:

***स्पष्टीकरण* 2.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में कोई संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श बिना नहीं किया जाएगा।"

3. मूल नियमों में **उपाबंध-क** के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"उपाबंध-ख

नियम 25क के उप-नियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अधिकारिताएं

अधिकारिताएं –

(i) जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन आयोग के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है;

या

(ii) जिसका केन्द्रीय बैंक इंटरनेशनल सेटेलमेंट बैंक (बीआईएस) का एक सदस्य है और

(iii) ऐसी अधिकारिता जिसकी पहचान वित्तीय कार्रवाई टास्कफोर्स (एफएटीएफ) के सार्वजनिक कथन में निम्नलिखित के रूप में नहीं की गई है:

(क) नीतिपरक धन शोधन रोधी या आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाली ऐसी अधिकारिता जिसके प्रति उपाय लागू होते हैं; या

(ख) ऐसी अधिकारिता जिसमें कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई टास्कफोर्स के साथ विकसित किसी कार्ययोजना में कमियों को दूर करने हेतु पर्याप्त प्रगति नहीं की गई है या उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है।"।

[फा. सं. 1/37/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by section 234 read with section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principal rules) after rule 25 the following rule shall be inserted, namely:-

"25A. Merger or amalgamation of a foreign company with a Company and vice versa.—(1) A foreign company incorporated outside India may merge with an Indian company after obtaining prior approval of Reserve Bank of India and after complying with the provisions of sections 230 to 232 of the Act and these rules.

(2) (a) A company may merge with a foreign company incorporated in any of the jurisdictions specified in Annexure B after obtaining prior approval of the Reserve Bank of India and after complying with provisions of sections 230 to 232 of the Act and these rules.

(b) The transferee company shall ensure that valuation is conducted by valuers who are members of a recognised professional body in the jurisdiction of the transferee company and further that such valuation is in accordance with internationally accepted principles on accounting and valuation. A declaration to this effect shall be attached with the application made to Reserve Bank of India for obtaining its approval under clause (a) of this sub-rule.

(3) The concerned company shall file an application before the Tribunal as per provisions of section 230 to section 232 of the Act and these rules after obtaining approvals specified in sub-rule (1) and sub-rule (2), as the case may be.

Explanation 1.—For the purposes of this rule the term "company" means a company as defined in clause (20) of section 2 of the Act and the term "foreign company" means a company or body corporate incorporated outside India whether having a place of business in India or not:

Explanation 2.— For the purposes of this rule, it is clarified that no amendment shall be made in this rule without consultation of the Reserve Bank of India."

3. In the principal rules after Annexure A the following Annexure shall be inserted namely:-

"**Annexure B**

Jurisdictions referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 25A

Jurisdictions -

(i) whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission's Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A Signatories) or a signatory to bilateral Memorandum of Understanding with SEBI, or

(ii) whose central bank is a member of Bank for International Settlements (BIS), and

(iii) a jurisdiction, which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force (FATF) as:

(a) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or

(b) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies.".

[F. No. 1/37/2013 CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R 1134(E), dated the 14th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.25 12:51:51 +05'30'